College of Community and Applied Sciences

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur

☎: Office: +91-0294-2471914, 2946679(O), Email: deanchsc@yahoo.co.in

No. CCAS/Accts/Tender/2026/ 332-39 Dated: 03.06.2026

NOTICE FOR LIMITED TENDER (CANTEEN)

Limited tender is invited for running the College of Community and Applied Sciences, Canteen. Details may be obtained from our website www.ccasmpuat.ac.in and www.mpuat.ac.in.

DEAN
COLLEGE OF COMMUNITY
AND APPLIED SCIENCES
MPUAT, UDAIPUR

College of Community and Applied Sciences

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur

☎: Office: +91-0294-2471914, 2946679(O) Email: deanchsc@yahoo.co.in

No. CCAS/Accts/Tender/2026/ Dated: 03.06.2026

निविदा सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता हैं कि इस महाविद्यालय में स्थित केन्टीन का ठेके पर चलाने हेतु मोहबंद निविदाऐ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाऐ अधिष्ठाता, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) के कार्यालय में 09.06.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी।

इसी कम मे प्राप्त निविदाऐ दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे महाविद्यालय द्वारा बनाई कमेटी के सामने खोली जावेगी। उक्त निविदा फार्म व अन्य शर्ते निविदादाता कार्यालय समय मे प्राप्त कर सकते हैं।

इन प्राप्त निविदा मे दरे अनुकूल न होने पर यदि आवश्यकता हुई तो महाविद्यालय द्वारा बनाई कमेटी के समक्ष वार्तालाप द्वारा भी दरे निश्चित कर सकेगे। इसमे कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा एवं अधिष्ठाता को किसी भी या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। 02.06.2026 से इंटरनेट वेबसाइट www.ccasmpuat.ac.in and www.mpuat.ac.in से भी नियम व शर्ते देख सकते है।

अधिष्ठाता

DEAN
COLLEGE OF COMMUNITY
AND APPLIED SCIENCES
MPUAT, UDAIPUR

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं :–

1. समस्त अधिष्ठाता,मप्रकृप्रौविवि,उदयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
3. कन्वेनर निविदा कमेटी, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
4. समस्त कमेटी सदस्य, निविदा कमेटी, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
5. अनुभाग अधिकारी,लेखाशाखा, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
6. प्रभारी (भण्डार) सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
7. समस्त महाविद्यालय / छात्रावास नोटिस बोर्ड, सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
8. समस्त महाविद्यालय / छात्रावास नोटीस बोर्ड,सीसीएएस / सीटीएई / सीडीएफटी / आरसीए. महाविद्यालय,मप्रकृप्रौविवि,उदयपुर।

अधिष्ठाता

College of Community and Applied Sciences
Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur
☎: Office: +91-0294-2471914, 2946679(O), Email: deanchsc@yahoo.co.in

महाविद्यालय केन्टीन के निविदा की शर्ते

सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक व अन्य कर्मचारियों के लिए केन्टिन के ठेके के नियम एवं शर्ते निम्नलिखित होगी:–

1. जिस निविदादाता के नाम निविदा खुली हो, उसे रूपये 20000/– (बीस हजार रूपये मात्र) बतौर जमानत राशि के अधिष्ठाता के कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा एक इकरारनामा प्रपत्र 100/– रूपये के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर भर कर देना होगा दो व्यक्तियों की जमानती देनी होगी, पहचान हेतु निविदादाता को स्वयं तथा दोनो जमानती का आधार कार्ड/ वॉटिंग कार्ड की सत्यापित कॉपी जमा करवानी होगी।
2. यह निविदा एक वर्ष तक की होगी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार संतोषप्रद कार्य होने पर एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है इस हेतू मेन्टेन्स राशि 10% प्रतिमाह की दर से बढाया जाएगा।
3. यदि सफल निविदादाता समय पर संतोषप्रद कार्य नहीं कर पाता है, तो अधिशेष को परिस्थिति के अनुसार एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी अवस्था में अमानत/ धरोहर राशि जमा की जा सकती है एवं दण्ड राशि देय बिल में से काट ली जाएगी।
4. जलपान गृह की सुविधा एवं छात्रों के हितो को देखते हुए फर्नीचर का किराया नही लिया जावेगा। परन्तु जलपान गृह की व्यवस्था, रख–रखाव, बिजली, पानी एवं विकास के एवज में मेन्टेन्स राशि **7000/– रूपये (सात हजार रूपये) प्रतिमाह** देय होगा। जिसे प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व तक कार्यालय में जमा कराना होगा, कैंटीन की मेन्टेन्स राशि माह के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा अन्यथा रुपये 50/– (पचास रुपये) प्रतिदिन या रुपये 500/– (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह दोनों में से जो भी अधिक होगा उस हिसाब से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
5. **कैंटीन की निविदा बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मेन्टेन्स राशि के मूल्यांकन के आधार पर ही आवंटित किया जाएगा।**
6. जो भी फर्नीचर व दिया गया सामान महाविद्यालय द्वारा दिये जायेगें उनके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, यदि कोई टूट–फूट होगी तो उसे भी निविदादाता अपने स्वयं के खर्चे से मरम्मत करायेगा।
7. यदि एल–1 (L1) फर्म/ निविदादाता द्वारा किसी भी कारणवश बीच अवधि में कैंटीन संचालन बंद कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एल–1 फर्म को महाविद्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर दिया जाएगा। साथ ही, महाविद्यालय प्रशासन के पास शेष अवधि के लिए एल–2 (L2) फर्म/ निविदादाता को कैंटीन का टेंडर आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
8. निविदादाता को कैंटीन संचालन स्वयं संचालित करनी होगी। वह अन्य किसी व्यक्ति को कैंटीन संचालन हेतु अधिकृत नहीं कर सकेगा।
9. जलपान सेवा व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखने होगें। कर्मचारी उचित व साफ सुथरी अवस्था में कार्य करेगा, केन्टीन ठेका उम्मीदवार द्वारा कर्मचारी का महाविद्यालय में पुलिस सत्यापन संबंधित दस्तावेज जमा करवाने अनिवार्य होंगें। कर्मचारी को स्टाफ से व्यवहार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बाल श्रमिक को कैंटीन में कार्यरत पाए जाने पर राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
10. कैंटीन का दुरुपयोग न हो तथा निविदादाता कैंटीन में किसी भी व्यक्ति को बिना कार्य नहीं बैठने देगा व अधिकृत कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को रसोई गृह में प्रवेश नहीं होने देगा। खाद्य सामग्री की शुद्धता की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अधिशेष द्वारा प्रतिदिन शुद्ध व ताजा वस्तुएं बनाकर

बिक्री करेगा। इसके विपरीत होने पर अधिशेष द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकेगी। मिलावटी, अशुद्ध, सडी गली अथवा समयावधि पश्चात उपयोग में ली गई खाद्य–सामग्री के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी से उत्पन्न कानूनी कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अधिशेष द्वारा गठित कमेटी एवं आवश्यकतानुसार खाद्य निरीक्षक से शुद्धता की जांच करवाई जा सकती है।

11. कैंटीन में किसी भी प्रकार के तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, प्रतिबंधित शीतल पेय पदार्थ आदि व नशे संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं भंडारण नहीं किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों का कैंटीन के अंदर सेवन/बिक्री पूर्णतया वर्जित है। इसके लिए समय–समय पर राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।
12. निविदादाता केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करेगा।
13. निविदादाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन शुद्ध व ताजा वस्तुऐं ही विक्रय करे इसके विपरीत होने पर अधिष्ठाता द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकेगी।
14. निविदादाता मीनू व रेट टेण्डर फार्म में बताये वस्तुओं की लागत अनुसार चार्ज करेगा अथवा केन्टीन कमेटी द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की लागत चार्ज करेगा इन वस्तुओं के नमूने भी मान्य कराने पडेगे और उसके अनुसार उसे वस्तुऐं विक्रय करनी होगी। बाजार भाव के अनुसार कमेटी की सहमति दरों मे परिवर्तित किया जा सकेगा। थ्नविदादाता प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची केन्टीन में लिखकर निश्चित स्थान पर लगा कर रखेगा। जिसको उपभोक्ता आसानी से देख सकें।
15. महाविधालय की ईकाई द्वारा समय–समय पर बनाई गये खाघ पदार्थ भी केन्टिन में रखना एवं बेचना होगा।
16. कैंटीन का समय प्रातः 8.00 से सायं 6.00 बजे तक होगा। महाविद्यालय के छात्रों की सुविधानुसार कैंटीन का समय परिवर्तित किया जा सकता है
17. निविदा भेजते समय लिफाफे पर ''केन्टीन के लिए टेण्डर'' शब्द लिखें।
18. निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार अधिष्ठाता को (हित / निहित) होगा एवं अधिष्ठाता का फैसला ही निविदादाता को मान्य होगा।
19. किसी अपराधिक शिकायत पर केन्टिन का ठेका तुंरत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और साथ ही धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
20. निविदादाता को नगर परिषद् से अनुज्ञा–पत्र लेना आवश्यक होगा।
21. निविदादाता को खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रमाण पत्र (FSSAI) प्रस्तुत करना होगा।
22. यह केन्टीन छात्रों के लिए प्रस्तावित हैं अतः निविदादाता एवं उसके कर्मचारी छात्रो से अच्छी तालमेल रखेगे तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस कार्य को सफल बनाने मे सहायक होगें।

उदयपुर

दिनांकः 03.06.2026

अधिष्ठाता

DEAN
COLLEGE OF COMMUNITY
AND APPLIED SCIENCES
MPUAT, UDAIPUR

College of Community and Applied Sciences

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur

☎: Office: +91-0294-2471914, 2946679(O), Email: deanchsc@yahoo.co.in

No. CCAS/Accts/Tender/2026/ Dated: ....

महाविद्यालय केन्टीन के निविदा हेतु निविदापत्र

मैं .... पुत्र श्री ....

.... निवासी .... आपके महाविद्यालय में स्थित केन्टीन (जलपान गृह) की निविदा लेने के लिए तैयार हूँ। मैने आपकी सभी शर्ते व नियम पूर्ण रूप से पढ लिए हैं व मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ तथा आपके द्वारा जो भी निर्देश समय – समय पर दिये जावेगें उनका पूर्ण रूप से पालन करूगा।

मेरे द्वारा केन्टीन में विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री व पेय पदार्थ के नाम व दरें निम्न प्रकार से हैं। इनके अलावा जो भी वस्तु में विक्रय करना चाहुगा। उसकी पूर्वानुमति आपसे लेकर करूगाः–

क.स.	नाम वस्तु	मात्रा/वजन	निर्धारित दर (रू.)
1.	चाय प्रति कप	50 ml	10.00
2.	चाय प्रति कप	100 ml	15.00
3.	कॉफी प्रति कप (शुद्ध दुध में)	100 ml	18.00
4.	दुध प्रति ग्लास (मीठा)	150 ml	20.00
5.	कचोरी / समोसा/आलु बडा दही एवं चटनी	प्रति प्लेट नग	20.00
6.	सादा कचोरी / समोसा/आलु बढ़ा	प्रति नग	15.00
7.	ब्रेडबडा/प्याज कचोरी	प्रति नग	20.00
8.	पोहा (प्याज व नमकीन सहित)	100 gm	15.00
9.	पकोडे (चटनी सहित)	100 gm	30.00
10.	आलु परांठा/भरवां परांठा अचार अथवा सॉस	प्रति प्लेट (1 न)	30.00
11.	सादा परांठा अचार अथवा सॉस	100 gm	20.00
12.	फाफड़ा (मिर्च/चटनी सहित)	100 gm	40.00

13.	आलू/वेज बैंड सेंडविच (दो बड़ी ब्रेड) सॉस	स्टेंडर्ड साइज	30.00
14.	बर्गर	स्टेंडर्ड साइज	30.00
15.	इडली/वडा (2 नग) सांभर, चटनी के साथ	स्टेंडर्ड साइज	30.00
16.	छाछ, लस्सी / अन्य उत्पाद	–	On MRP
पैक्ड पदार्थ: पैक्ड पदार्थों जैसे बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि की दर उन पर अंकित अधिकतम खुदरा दर (MRP) से अधिक नहीं होगी।			

दिनांक

हस्ताक्षर

मैं निम्न दो व्यक्तियों के नाम जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं व मेरे हर प्रकार के चाल–चलन की जानकारी रखते हैं। मेरे जमानती के रूप में दे रहा हूँ।

मैं/ हम श्री .... को अच्छी तरह से जानते हैं। इनका कार्य व चाल चलन अच्छा हैं व मैं/हम इनकी सारी देनदारियों के लिए जिम्मेदार हैं।

1. नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नम्बर ....

02. नामः ....

पताः ....

....

....

मोबाईल नम्बर ....